न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 14/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रमजान खान पुत्र श्री कालूखान निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री बरकत खान पुत्र श्री कालूखान निवासी तरतोली निवासी आबूरोड जिला सिरोही।
3. सुश्री खेरून खान पुत्री श्री कालूखान निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 13.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नं. 743/95 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–1 व खसरा संख्या 871/658 रकबा 0.11 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/एस.पी./ दिनांक 29.08.1978 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्रीमती गेनकी बेवा श्री सरताजी जाति मौसला निवासी तरतोली को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 06.09.1978 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा आंवटी श्रीमती गेनकी बेवा श्री सरताजी जाति मौसला निवासी तरतोली के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान [illegible] (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा [illegible] जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विरत्तृत बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 743/95 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–1 व खसरा संख्या 871/658 रकबा 0.11 बीघा किस्म नहरी–2 भूमि का आवंटन आवंटी श्रीमती गेनकी बेवा श्री सरताजी जाति मौसला निवासी तरतोली को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि गांव मुदरला के खसरा संख्या 743/95 रकबा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 871/658 रकबा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय से ही अप्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं आवंटी आंवटन से लेकर आज तक प्रार्थी की देखरेख में काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा गलत मौका रिपोर्ट बना कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी ने यह मंजूर किया है कि आवंटन के पश्चात नियमानुसार कब्जा सुपूर्द किया जाकर इसके नाम नामान्तरकरण रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है। यह कि अप्रार्थी कब्जा सुपूर्द करने के पश्चात लगातार काश्त करते हुए उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार करते आ रहे है। यह कि पटवार हल्का ने गलत रूप से रिपोर्ट तैयार की है, जो कतई मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण का आवंटन के समय से ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से भूमाफियाओं के सहयोग से गलत रूप से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की भूमि को हडप करने के बदइरादे से पेश किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि प्रार्थी ने नियमन के 43 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन अवधि बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि संवत 2067–70 में भी उक्त भूमि पर श्रीमती गेनकी बेवा सरता द्वारा ज्वार, मूंग व तिल बौने का खसरा गिरदावरी में उल्लेख किया गया था तथा उसके पश्चात भी नियमानुसार काश्त की जाती रही है। यह है कि आंवटन उस स्थिति में निरस्त किया जा सकता है जो आंवटित द्वारा कपटपूर्वक फर्जी तरीके से आवंटन कराया हो, जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई आरोप नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/एस.पी./ दिनांक 29.08.1978 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्रीमती गेनकी बेवा श्री सरताजी जाति मौसला निवासी तरतोली [illegible] जिला सिरोही को मौजा मुदरला पटवार हल्का आमथला तहसील [illegible] 743/95 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–1 व खसरा संख्या 871/658 [illegible] बीघा किस्म नहरी–2 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आ[illegible]टित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 06.09.1978 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्रीमती गेनकी बेवा श्री सरताजी जाति मौसला के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी पक्ष द्वारा मुख्यतः कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2068, 2069 व 2070 में उक्त आंवटित भूमि पर ज्वार, मूंग व तिल की फसल बौने का काश्त होना दर्ज है, इसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही हो। इसके अलावा प्रकरण में श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह जाति राव निवासी कारोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के जबाव में भी वर्तमान तहसीलदार देलदर द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा आवंटन के समय ही एक बार ज्वार, मूंग व तिल की फसल बोकर काश्त किया है, उसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है। चूंकि नियम 14 (3) के तहत अप्रार्थी प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का आमथला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार देलदर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/368 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा प्रस्तुत जबाव अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा कर काश्त की जा रही है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर संवत 2068, 2069 व 2070 के बाद किसी भी प्रकार की कोई काश्त की हो। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड जिला सिरोही के खसरा संख्या 743/95 रकबा 0.13 बीघा किस्म नहरी–1 व खसरा संख्या 871/638 रकबा 0.11 बीघा [illegible] नहरी–2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/एस.पी./ दिनांक 2[illegible]1978 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्रीमती गेनकी बेवा श्री सरताजी [illegible] निवासी [illegible] तह. आबूरोड जिला सिरोही को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:53:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner